



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

P 756161

मॉडल स्कूल उपयोग हेतु इकारारनामा

प्रथम पक्षकार: श्री प्रमोद ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बीजापुर

द्वितीय पक्षकार/उपयोगकर्ता: श्री प्रशांत कुमार :- प्राचार्य सह सहायक धोक्त्रीय निदेशक
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, हुडको,
निलाई (दुम्ह)
वास्ते डी.ए.वी. कॉलेज प्रवन्धन
समिति, नई दिल्ली

यह इकारारनामा/अनुबंध पत्र उपय पक्षकारण आज दिनांक को स्थान
बीजापुर में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार छ.ग. शासन द्वारा अधिकारी है, जिसे कलेक्टर द्वारा नोडल अधिकारी के रूप
में नामांकित किया गया है। शासकीय भूमि विकास कर निर्माण कार्य मॉडल स्कूल तैयार किया गया है। यह
मॉडल स्कूल बच्चों के उच्चगुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य ग्राम माझीगुड़ा, पटवारी हल्का नं. 00027
तहसील बीजापुर एवं जिला बीजापुर (छ.ग) रिव्हित भूमि खसरा क्र. 126 कुल रकवा 1.96 हेक्टेयर पर
अनुमोदित नवशे के तहत मॉडल स्कूल तैयार किया गया है।
2. यह कि उक्त वर्णित मॉडल स्कूल को द्वितीय पक्षकार को 30 वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार के तहत
प्रदान किया गया है। यह अधिकार दिनांक से होकर दिनांक को समाप्त
होगी।
3. यह कि उक्त विद्यालय का किराया प्रति वर्ष अनुबंध की धारा 8.14 के अनुसार ₹.100/- (रु. एक सौ
रुपया) प्रति वर्ष देय होगा। द्वितीय पक्षकार, प्रथम पक्षकार को नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष माह जनवरी के
द्वितीय सप्ताह तक किराया निम्नलिखित दैक वितरण के अनुसार खाते में राशि जमा करेगा:-

नाम
दैक वितरण

- पंजाब नेशनल बैंक, बीजापुर
- बीजापुर



छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

P 756155

4. यह कि, उक्त मौडल स्कूल के सुन्दरी के एवज में हितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के पास अनुबंध की पारा 7.1.1 के अनुसार ₹ 50,000/- (अठाँ रु. पचास हजार रुपये) प्रति विद्यालय बतौर परकारमें सारांशी वैक गारन्टी के रूप में जमा करेगा तो कि उपयोग का अधिकार संबंधित समाप्त किए जाने पर प्रथम पक्षकार द्वारा हितीय पक्षकार (डीएची) को दिना व्याज के बापस करेगा। वैक गारन्टी का अवधि समाप्त होने पर इसे पुन द्वितीय पक्षकार द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा।
5. यह कि, उक्त भवन में विद्युत बीटर लगा हुव है, उसमें जितना भी बिले आएगा, उसकी अदायगी हितीय पक्षकार द्वारा की जाएगी। विद्युत बीटर में हितीय पक्षकार द्वारा कोई छेड़हाड़ नहीं की जावेगी। अगर यदि ऐसा होता है तो उसकी जबाबदारी हितीय पक्षकार की होगी।
6. यह कि, उपरोक्त विद्यालय भवन को हितीय पक्षकार वित्ती अन्य को उपकिराए या माडगेज या टीज पर नहीं देगा तथा विद्यालय भवन के स्वरूप में किसी प्रकार का रद्दोबदल एवं टोडफोड अथवा नवनिर्माण तथिय, स्कूल शिक्षा विभाग की आवश्यत में ; ठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमति के दिना नहीं करेगा।
7. यह कि, हितीय पक्षकार उक्त भवन में किसी प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करेगा यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसकी जबाबदारी हितीय पक्षकार यानी हितीय पक्षकार (डीएची) की होगी।
8. यह कि, उक्तानुसार अवधि समाप्ति पर उपयोग का अधिकार का यह अनुबंध स्वयंमेव समाप्त हो जाएगा।
9. यह कि, प्रथम पक्षकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है, जिसमें हितीय पक्षकार (डीएची) द्वारा पूरा-पूरा सहयोग प्रदान किया जावेगा।
10. यह कि, उक्त भवन में द्वारा पंखा- निरंक नग, ट्यूब लाईट- निरंक नग, सी.एफ.एल.- निरंक नग, सोडियम लाईट- निरंक, कॉल बैल- निरंक, फर्नीचर- 267, अलमारी- 05, स्टील रेक- 04 तथा संलग्न 06 पृश्ठों की दी गई सामग्रीयों की रुधी चालू चालू हालत में दिया जा रहा है, जो कि विद्यालय खाली करते समय चालू व दूरस्त हालत में लाटाया जाएगा।
11. यह कि हितीय पक्षकार कभी मॉडल स्कूल का भू-स्वामित्व के अधिकार को चुनौती नहीं देगा।

आज दिनांक _____ को स्थान बीजापुर (छ.ग) में उभय पक्षकारगण इस उपयोग हेतु जमीं का इकारानामा करे पढ़कर, पढ़वाकर सुनकर, समझाकर, स्वस्थ्य यित्त मन से दिना किसी ढर दबाव व प्रत्येक से अपना-अपना हस्ताक्षर, गवाहों की उप्रस्थिति में कर दिए ताकि समद रहते बता

स्थान :- बीजापुर (छ.ग.)

दिनांक :-

- गवाह:- 1. वि. एल. पुर्जा
2. डॉन्स कुमार प्रगल.

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार/डिस्ट्रिक्ट एजेंट
District Bijapur (C.G.)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार/डिस्ट्रिक्ट एजेंट

ASSTT. REGIONAL DIRECTOR
DAV PUBLIC SCHOOLS
MP & CG Zone
Hudco Bijapur

PRINCIPAL
DAV MUKHTIYAMTRI PUBLIC SCHOOL
MANJHIGUDA, BIJAPUR (C.G.)
PIN-494444